बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती)

(507)

कृषि विभाग
बिहार, पटना

नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलोजी के अधीन सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) के अंतर्गत संचालित बामेती, पटना में उप निदेशक के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु Business Logic

नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलोजी के अधीन सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) के अंतर्गत संचालित बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती), पटना में रिक्त उप निदेशक के निम्न पदों पर संविदा आधारित नियोजन के लिए ऑन–लाईन (On-line) आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उप निदेशक के रिक्त पदों पर आवेदन हेतु विवरण बामेती के बेवसाइट www.bameti.org तथा कृषि विभाग, बिहार के बेवसाइट www.krishi.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। बामेती में उप निदेशक के रिक्त पदों की विवरणी (शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव सहित) निम्न है–

S. No.	Particulars	No. of Post and Categories	Essential Qualifications	Experience
1.	Deputy Director (Accounts)	01 UR	M.Com. degree with Computer Operation Certificate of minimum 03 months duration.	Minimum 3 years working experience in Accounting.
2.	Deputy Director (Agriculture)	01 EBC	M.Sc.(Ag) in Agronomy/ Soil Sc./ Seed Technology with Computer Operation Certificate of minimum 03 months duration.	Minimum 3 years working experience in Agriculture production development.
3.	Deputy Director (Credit)	01 SC	Post Graduate degree in the subject concerned with Computer Operation Certificate of minimum 03 months duration.	Minimum 3 years working experience in credit.
4.	Deputy Director (Dairy Technology)	01 UR	Post Graduate degree in Dairy Technology with Computer Operation Certificate of minimum 03 months duration.	Minimum 3 years working experience in Dairy Development.
5.	Deputy Director (Extension Management)	01 BC	M. Sc. (Ag) in Extension / Economics with Computer Operation Certificate of minimum 03 months duration.	Minimum 3 years working experience in Agriculture Extension Management.
6.	Deputy Director (Fisheries Science)	01 BC	M. F. Sc. degree with Computer Operation Certificate of minimum 03 months duration.	Minimum 3 years working experience in Fisheries development.

506

7.	Deputy Director (Post -Harvest Technology)	01 UR	Post Graduate degree in Post- Harvest Technology with Computer Operation Certificate of minimum 03 months duration.	Minimum 3 years working experience in Post-harvest Technology.
8.	Deputy Director (Veterinary Science)	01 SC	M. V. Sc. in Animal Nutrition/ LPM with Computer Operation Certificate of minimum 03 months duration.	Minimum 3 years working experience in Veterinary Science.

2. संविदा पर नियोजन हेतु पात्रताः

- अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।
- उम्र सीमा – दिनांक 31.10.2014 को अधिकतम 37 वर्ष है।
  बिहार सरकार के द्वारा समय–समय पर प्रवृत्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिला अभ्यर्थियों को नियमानुसार उम्र सीमा में छूट अनुमान्य होगी। यह छूट पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग तथा महिला उम्मीदवारों के लिए तीन (03) वर्ष तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पाँच (05) वर्ष अनुमान्य होगी।
- उप निदेशक के विभिन्न पदों के लिये मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर डिग्री तथा 03 माह का कम्प्यूटर ज्ञान का प्रमाणपत्र के साथ न्यूनतम 03 वर्ष का कार्य अनुभव।

3. संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयन समिति निम्न प्रकार गठित होगी–

प्रधान सचिव, कृषि	–	अध्यक्ष
कुलपति रा.कृ.वि., पूसा के प्रतिनिधि	–	सदस्य
कुलपति बि.कृ.वि., सबौर के प्रतिनिधि	–	सदस्य
आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि विभाग	–	सदस्य
प्रधान सचिव, कृषि द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग के एक पदाधिकारी	–	सदस्य
निदेशक बामेती	–	सदस्य सचिव

- निदेशक, बामेती, बिहार, पटना "नियोजन प्राधिकार" की जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगें।

4. आरक्षण – सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिये समय–समय पर निर्धारित आरक्षण प्रावधान वर्तमान नियोजन में लागू होंगें।

5. आवेदन की प्रक्रिया –

- आवेदन ऑन–लाइन ही स्वीकार किया जाएगा।
- आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के उपरान्त सभी आवेदकों की सूची तैयार की जायेगी और उसे बामेती के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा।

* बामेती के वेबसाईट पर प्रकाशित सूची पर कोई भी आवेदक उसके प्रकाशन के एक सप्ताह के भीतर निदेशक, बामेती के समक्ष आपत्ति कर सकता है।
* आपत्ति/दावों पर विचारण के उपरान्त संशोधित सूची के आधार पर आवेदकों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

6. चयन की प्रक्रिया–
    * बामेती में रिक्त उप निदेशक के विभिन्न पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु 20 अंको का साक्षात्कार होगा। विशिष्ट योग्यताधारी (पी.एच.डी. डिग्री प्राप्त) आवेदक को उक्त पदों पर नियोजन में प्राथामिकता दी जायेगी। पदवार आवेदकों की संख्या अधिक होने पर चयन समिति, वैक्तिक दक्षता परीक्षा (Personal Apptitude Test) ले सकती है।
    * साक्षात्कार में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले आवेदक को नियोजित किया जा सकता है। साक्षात्कार में दूसरा एवं तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले आवेदक को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा।
7. **एकरारनामा** – संविदा आधारित नियोजन के पूर्व चयनित अभ्यर्थी एवं निदेशक बामेती, बिहार, पटना के बीच एक एकरारनामा किया जायेगा।
8. संविदा के आधार पर नियोजन एक (01) वर्ष के लिए होगा। कार्य संतोषजनक होने पर पुनः एक वर्ष के लिए नवीकृत किया जा सकेगा। कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर, मूल्यांकन के आधार पर, सेवामुक्त किया जा सकता है।
9. अनुबंध की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का पुर्ननियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिये कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
10. निदेशक, बामेती के प्रतिवेदन के आधार पर नियोजित कर्मियों को हटाने का अधिकार राज्य नोडल पदाधिकारी (आत्मा योजना) को होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की अपील प्रधान सचिव, कृषि/कृषि उत्पादन आयुक्त के स्तर पर की जायेगी, जिनका निर्णय अंतिम होगा।
11. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगें और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेंगें। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकार की सेवा में नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा।
12. संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण प्रधान सचिव, कृषि/कृषि उत्पादन आयुक्त का होगा।

(504)

13. संविदा पर नियोजित कर्मियों का दायित्व – कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत मार्गनिर्देश के आलोक में राज्य सरकार, अंतर्विभागीय कार्यसमूह (IDWG), बामेती शासी परिषद, बामेती कार्यकारिणी समिति एवं निदेशक बामेती द्वारा निर्धारित दायित्वों का निर्वहन नियोजित कर्मियों को करना होगा। संविदा पर नियोजित कर्मियों का मुख्य दायित्व बामेती के माध्यम से आत्मा योजना का सफल एवं पारदर्शी कार्यान्वयन होगा।
14. चूँकि आत्मा योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, अतएव संविदा के आधार पर यह नियोजन तभी तक मान्य होगा जब तक आत्मा योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार से आवश्यक निधि (Fund) प्राप्त होती रहेगी।
15. आवेदन पत्र **On-line** ही स्वीकार किए जाएगें।
16. **On-line** आवेदन पत्र दिनांक 11.12.14 से 31.12.14 तक Submit किया जा सकता है।

9.12.14

प्रधान सचिव, कृषि
बिहार, पटना